उपभोक्ता शिक्षण साहित्य: आईआरएसीपी मानदंडों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. 'देय राशि' शब्द का अर्थ क्या है?

'देय राशि' का अर्थ है मूलधन/ब्याज/ऋण खाते पर आरोपित कोई भी प्रभार जो ऋण सुविधाओं की संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर देय होता है।

क्या यह लेख लाभदायक था? हाँ / नहीं

2. 'अतिदेय' शब्द का अर्थ क्या है?

'अतिदेय' का अर्थ है मूलधन/ब्याज/ऋण खाते पर आरोपित कोई भी प्रभार जो देय है, लेकिन ऋण सुविधाओं की संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि पर या उससे पहले नहीं चुकाया गया है।

क्या यह लेख लाभदायक था? हाँ / नहीं

3. ऋणदात्री संस्था से ऋण के मामले में "अतिदेय" क्या है?

किसी भी ऋण सुविधा के तहत ऋणदात्री संस्था को कोई भी देयराशि 'अतिदेय' है, यदि उसे ऋणदात्री संस्था द्वारा तय की गई नियत तिथि पर या उससे पहले नहीं चुकाया जाता है।

क्या यह लेख लाभदायक था? हाँ / नहीं

4. दबावग्रस्त खाता क्या है?

ऋण प्राप्त करने से पहले तय शर्तों के अनुसार उधारकर्ताओं को आवधिक अंतराल पर ईएमआई/ किस्त/ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। यदि ऐसी देय ईएमआई/किस्त/ब्याज का भुगतान तय शर्तों पर नियत तिथि पर या उससे पहले नहीं किया जाता है, तो ऐसे खाते को 'दबावग्रस्त खाता' कहा जाता है।

क्या यह लेख लाभदायक था? हाँ / नहीं

5. 'विशेष उल्लेखनीय खाता '(एसएमए खाता) क्या है?

अगर किसी ऋण खाते में देय राशि के भुगतान में चूक के कारण दबाव के लक्षण दिखते हैं, तो उसे 'विशेष उल्लेखनीय खाते (एसएमए खाते)' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यदि ऐसे खातों को 90 दिन के भीतर नियमित नहीं किया जाता है, तो उन्हें 'अनर्जक आस्ति' (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क्या यह लेख लाभदायक था? हाँ / नहीं

6. एसएमए को कैसे श्रेणीकृत किया जाता है?

एसएमए को निम्नलिखित उप-वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

परिक्रामी सुविधाओं के अलावा ऋण		**नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट जैसी परिक्रामी सुविधाओं की प्रकृति वाले ऋण**	
एसएमए उप- श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूरी तरह या आंशिक रूप से बकाया हो	एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार - बकाया शेष, मंज़ूर ऋण सीमाएं या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से ज़्यादा, कितने समय तक लगातार बना रहता है:
एसएमए-0	30 दिन तक		
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक	एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक
एसएमए -2	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक	एसएमए -2	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक

क्या यह लेख लाभदायक था? हाँ / नहीं

7. अनर्जक आस्ति क्या हैं ?

किसी ऋण सुविधा/सुविधाओं में, जहाँ निम्न वर्णित दबाव/अपचारिता/कमियाँ देखी जाती हैं, ऐसे उधार खाते को अनर्जक आस्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

ए. सावधि ऋण के मामले में जहां ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिन से ज़्यादा समय से बकाया है,

बी. खरीदे और भुनाएं गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिन से अधिक समय तक अतिदेय रहता है,

सी. कृषि ऋण : अल्पकालिक फसलों के लिए जहां मूलधन या ब्याज की किस्त दो फसली मौसमों से अतिदेय है, तथा दीर्घावधि फसलों के लिए एक फसली मौसम से अतिदेय है।

डी. निम्नानुसार, ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) सुविधा के संबंध में जहां खाता 'आउट ऑफ़ ऑर्डर' बना रहता है। :

i. सीसी/ओडी खाता में जहां बकाया शेष 90 दिन तक लगातार मंज़ूर ऋण सीमा/आहरण शक्ति से ज़्यादा रहता है, या
ii. सीसी/ओडी खाता में जहां बकाया शेष मंज़ूर ऋण सीमा /आहरण शक्ति से कम होता है, लेकिन लगातार 90 दिन तक कोई जमा नहीं होता है, या सीसी/ओडी खातो में जहां बकाया शेष मंज़ूर ऋण सीमा /आहरण शक्ति से कम होता है, लेकिन जमा राशि 'पिछले 90 दिन की अवधि' के दौरान नामे किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(नोट: सीसी/ओडी खातो के 'आउट ऑफ़ ऑर्डर' स्थिति का पता लगाने के लिए 'पिछले 90 दिन की अवधि' में वह दिन भी शामिल होगा जिसके लिए ऋण देने वाली संस्था दिन-समाप्ति-प्रक्रिया चला रही है।)

ई. ऐसा खाता जहां नियमित/तदर्थ ऋण सीमा नियत तिथि / तदर्थ मंज़ूरी की तिथि से 180 दिन के अंदर समीक्षित/नवीनीकृत नहीं किया गया हो।

एफ़. जहां स्टॉक और बही ऋण की प्रतिभूति के बदले ऋण / सीमा मंज़ूर की गई हैं, और ऐसे मामलों में, यदि ऐसे स्टॉक और बही ऋण की स्थिति, आहरण शक्ति तय करने के लिए ऋणदाता को नहीं दी जाती है, तो स्टॉक और बही ऋण विवरण से परिकलित आहरण शक्ति पर आधारित खाते में तीन महीने से ज़्यादा पुराना बकाया 'अनियमित' माना जाएगा। यदि ऐसी गड़बड़ी लगातार 90 दिन तक रहती है, तो खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा।

क्या यह लेख लाभदायक था? हाँ / नहीं

8 .ऋण को एसएमए -0, एसएमए -1, एसएमए -2 और एनपीए के रूप में वर्गीकरण करने के लिए उदाहरण दें:

8.1 उन खातों के संबंध में जहां ईएमआई / किस्त देनी हैं:

उदाहरण: यदि किसी ऋण खाता की नियत तिथि 31 मार्च, 2022 है, और ऋण देने वाली कंपनी को इस तिथि के लिए दिन समाप्ति प्रक्रिया चलाने से पहले पूरा बकाया नहीं मिलता है, तो बकाया की तिथि 31 मार्च, 2022 होगी और खाता को 31.03.2022 को एसएमए-0 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यदि यह बकाया लगातार रहता है, तो यह खाता 30 अप्रैल, 2022 यानी लगातार 30 दिन तक बकाया रहने पर दिन समाप्ति प्रक्रिया चलाने पर एसएमए-1 के रूप में टैग हो जाएगा। इसलिए उस खाता के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2022 होगी।

इसी तरह, यदि खाता बकाया रहता है, तो 30 मई, 2022 को दिन समाप्ति प्रक्रिया चलाने पर इसे एसएमए-2 के रूप में टैग कर दिया जाएगा और यदि यह आगे भी बकाया रहता है, तो 29 जून, 2022 को दिन समाप्ति प्रक्रिया चलाने पर इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा।

8.2 नकद ऋण/ ओवरड्राफ्ट जैसी रिवॉल्विंग सुविधाओं वाले खातों के मामले में**,** खाता एनपीए में तब परिवर्तित हो जाता है जब:

i) सीसी / ओडी खाता में बकाया शेष, मंज़ूर सीमा / आहरण शक्ति से लगातार 90 दिन से ज़्यादा रहता है, या, ii) सीसी / ओडी खाते में बकाया शेष, मंज़ूर सीमा/ आहरण शक्ति से कम है लेकिन लगातार 90 दिन तक कोई जमा नहीं होता है, या सीसी / ओडी खाते में बकाया शेष, मंज़ूर सीमा/ आहरण शक्ति से कम है लेकिन जमा 'पिछले 90 दिन की अवधि' के दौरान निकाले गए ब्याज को कवर करने के लिए काफ़ी नहीं है। (नोट: सीसी / ओडी खाते के 'आउट ऑफ़ ऑर्डर' स्थिति का पता लगाने के लिए 'पिछले 90 दिनों की अवधि' में वह दिन भी शामिल होगा जिसके लिए ऋण देने वाली संस्था दिन समाप्ति प्रक्रिया चला रही है)।

8.3 लंबित नवीकरण :

नियमित और तदर्थ ऋण सीमा की नियत तिथि/ तदर्थ मंज़ूरी की तिथि से तीन महीने के अंदर समीक्षा/ नियमित करना आवश्यक है । यदि उधारकर्ताओं से वित्तीय विवरण और दूसरा डेटा न मिलने जैसी दिक्कतें आती हैं, तो शाखा को यह दिखाने के लिए सबूत देना होगा कि ऋण सीमा का नवीकरण / समीक्षा पहले से ही चल रही है और जल्द ही पूरा हो जाएगी। किसी भी मामले में, छह महीने से ज़्यादा की देरी को आम तौर पर सही नहीं माना जाता है। इसलिए, जिस खाते में नियमित और तदर्थ ऋण सीमा की समीक्षा / नवीकरण नियत तिथि / तदर्थ मंज़ूरी की तिथि से 180 दिन के अंदर नहीं किया गया है, उसे एनपीए माना जाएगा।

यदि नवीकरण की नियत तिथि 31-03-2022 है और यदि सीमा 26 सितंबर 2022 तक नवीनीकृत नहीं की जाती है, तो ऐसे खाते को 26-09-2022 को दिन समाप्ति प्रक्रिया के दौरान एनपीए के तौर पर वर्गीकृत कर दिया जाएगा।

8.4 स्टॉक और ऋण बही विवरण जमा न करना:

यदि स्टॉक और बही ऋण के दृष्टिबधंक पर सीसी/ ओडी अकाउंट मंज़ूर किया जाता है, तो ऋण लेने वाले को समय-समय पर स्टॉक और बही ऋण विवरण जमा करने होंगे ताकि उधारदाता को खाता के तहत आहरण शक्ति पता लगाने में आसानी हो। स्टॉक और बही ऋण विवरण से परिकलित आहरण शक्ति पर आधारित खाते में तीन महीने से ज़्यादा पुराना बकाया 'अनियमित' माना जाएगा। यदि ऐसी गड़बड़ी लगातार 90 दिन तक रहती है, तो खाते को एनपीए के तौर पर वर्गीकृत कर दिया जाएगा।

क्या यह लेख लाभदायक था? हाँ / नहीं

9. ऋण देने वाली संस्थाएं कितने समय पर खातों को एसएमए या एनपीए के तौर पर वर्गीकरण करती हैं?

ऋण देनेवाली संस्थाएं दिन समाप्ति प्रक्रिया के दौरान रोज़ाना खाते का एसएमए/ एनपीए के रूप में वर्गीकरण करती हैं।

क्या यह लेख लाभदायक था? हाँ / नहीं

10. **यदि ऋण लेने वाले का कोई ऋण खाता एनपीए हो जाता है, तो क्या उसके सभी ऋण खाते एनपीए में वर्गीकृत हो जाएंगे?**
हाँ, एनपीए वर्गीकरण उधारकर्ता के हिसाब से होता है, खाते के हिसाब से नहीं। इसलिए, यदि उधारकर्ता का एक ऋण खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत होता है, तो उधारकर्ता के बाकी सभी ऋण खाते भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत होंगे।
क्या यह लेख लाभदायक था? हाँ / नहीं

11. **क्या दिन के दौरान भुगतान/जमा की गई धनराशि को एनपीए मार्किंग प्रक्रिया में शामिल किया जाता है?**

दिन-समाप्ति प्रक्रिया से पहले प्राप्त जमा को परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रक्रिया के दौरान अपचारिता की गणना के लिए माना जाता है। बाद में प्राप्त किसी भी जमा को अगले दिन की रसीद के रूप में माना जाता है।

क्या यह लेख लाभदायक था? हाँ/नहीं

12. एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने के बाद उधारकर्ता खातों को नियमित स्थिति में कैसे अपग्रेड किया जाता है?

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खाते को उधारकर्ता के सभी ऋण खातों के नियमानुकूलन पर केवल एवं मानक परिसंपत्ति में अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें उधार खाते की समीक्षा/नवीनीकरण और स्टॉक एवं बही ऋण से संबंधित बकाये और सहवर्ती अनियमितताओं का सुधार शामिल है।

क्या यह लेख लाभदायक था? हाँ/नहीं

13. **यदि खाता दबावग्रस्त/एनपीए हो जाता है तो उधारकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है?**
विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को समय-समय पर सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी), क्रेडिट सूचना कंपनियों आदि को दबाव/चूक/एनपीए की रिपोर्ट करनी होती है जो उधारकर्ताओं के क्रेडिट इतिहास और सहायक परिणामों को प्रभावित करता है।

क्या यह लेख लाभदायक था? हाँ/नहीं

(नोट : यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऊपर बताई गई उपभोक्ता शिक्षा की विषयवस्तु प्रकृति में सिर्फ़ उदाहरणात्मक है और इस तरह, आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए आईआरएसीपी मानदंड और स्पष्टीकरण समय-समय पर कार्यान्वयन के लिए लागू किए जाएंगे।)